न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख़ हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मोती वगैरा बनाम राधेश्याम वगैरा** **किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थगन** **प्रकरण सं. – 22/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.06.2018	अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की स्थगन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल अपील उनवानी मोती वगैरा पि. कन्हैया जाति बैरवा निवासी टोरडा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा बनाम राधेश्याम दत्तक पुत्र मंगला जाति बैरवा निवासी टोरडा तहसील रामगढ पचवारा वगैरा विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 411 दिनांक 19.06.1992 ग्राम टोरडा तहसील लालसोट में पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड तलब किये जाने हेतु नियत है। अतः प्रकरण में दिनांक 18.07.2014 को जारी स्थगन आदेश को मूल अपील के निर्णय होने तक प्रभावी रखा जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्थगन एवं मूल अपील की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण सं. 411 दिनांक 19.06.1992 से सम्बन्धित ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थिति भूमि ख.न. 61, 62, 213, 218, 241, 407/66 कुल किता 7 रकबा 28 बीघा व ख.न. 49 रकबा 55 बीघा 2 बिस्वा का रहन व हस्तान्तरण नही करने व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने हेतु दिनांक 18.07.2014 को जारी स्थगन आदेश मूल अपील प्रकरण के निर्णित होने तक प्रभावी रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ पचवारा को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थगन से सम्बन्धित पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल निगरानी पत्रावली के सलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति0 जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official